मानननीय न्यायालय श्रीमान म.प्र. राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

निगरानी 140-II-15 **कैम्प उज्जैन म.प्र.**

1 कालु पिता धन्ना गरवाल भील उम्र वयस्क,

मृतक जालु के वारसान :–

2 कल्लू उर्फ कैलाश पिता जालू भील उम्र वयस्क

3 मडिया पिता जालू भील उम्र वयस्क

4 नाहरसिंह पिता फूला जी भील उम्र वयस्क

5 मानसिंह पिता दिता भील उम्र वयस्क

समस्त का धंधा खेती निवासीयान ग्राम लाखिया,

तेहसील रावटी जिला रतलाम **—प्रार्थीगण**

रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ______ को प्राप्त

क्लर्क

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1 तोलू पिता वरसिंग भील उम्र वयस्क,

2 कालु पिता वरसिंग भील उम्र वयस्क,

3 छोटू पिता वरसिंग भील उम्र वयस्क,

5 लालू पिता वरसिंग भील उम्र वयस्क,

समस्त का धंधा खेती निवासीयान ग्राम लाखिया,

तेहसील रावटी जिला रतलाम म.प्र. **—प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राज.संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी वि.अधि.न्याया. श्रीमान तेहसीलदार महोदय, रावटी जिला रतलाम द्वारा राज.प्र.क्र. 15अ 70/11–12 में पारित आदेश दिनांक 06.09.14 से असंतुष्ट होकर निम्न आधारो के अतिरिक्त अन्य आधारो पर नकल मिलने के दिन मुजरा कर अन्दर अवधि पेश हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 140—दो/15 डालू / लोटू आदि जिला रतलाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7—6—2016	आवेदकगण की ओर निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में तहसीलदार के आदेश दिनांक 9—6—14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने यह निष्कर्ष निकालते हुए कि सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि पर कालु पुत्र धन्ना का अवैध कब्जा पाया गया है, इसलिए अन्य को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है । अतः अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जाता है, कालु पुत्र धन्ना को पक्षकार बनाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	